

पूर्वी सीमा में खड़े पेड़ों को काटा था। ख.न. 234/1
की भूमि उत्तरदाता रास्ते के उपयोग में ले रहा है।
ख.न. 234/1 के बाबल वादिया द्वारा उन वादी राधवाल
वकास मीनास्वामी सन् 2012 में पेश किया था जो
स्वामि को चुका है। उक्त विवेचन के वादिया का
वाद पत्र उपाय एवं फरलावण के आधार पर काबिल
नहीं होने से स्वामि विथा का उचित व क्यापोचित
प्रतिद होला है।

आदेश

वाद पत्र साबित नहीं होने तथा आधारहीन
होने को स्वामि विथा का कारण है।

पंजाबी जमानत शुमार होकर नम्बर के काम हो
तथा दारिद्र्यला फलत है।

विषय आज दिनांक 29.6.18 के काम को
शुदा वावनी में सुक्या गया।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (सुबु)